


चौनवा  
13/11/2021

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)SN

प्रार्थी	अप्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर	पप्पूराम पुत्र भागीरथराम जाट सरदारपुरा वगैरह	
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 852/2021 GCMS No. 2021/1132		
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.12.2021	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत कैम्प ग्राम पंचायत पांचवा में प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम सरदारपुरा पटवार मण्डल पांचवा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 64में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू- अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है सम्बन्धित खातेदारान की प्रकरण में सहमती नहीं है तथा न ही किसी प्रकार का संबंधित खातेदारो द्वारा लिखित स्वरूप सहमती पत्र या अनापत्ती प्रस्तुत हुई है अतः प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
 उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)		